मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई, 2019 (आषाढ़ 28, शक संवत् 1941)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:06 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति "एन.पी.") पीठासीन हुए.

1. प्रश्नकाल में उल्लेख एवं अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री सुखदेव पांसे, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री, डॉ. विजय लक्ष्मी साधौ, संस्कृति मंत्री, श्री पी.सी. शर्मा, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह द्वारा समाचार पत्र में उल्लिखित श्री कमलनाथ, मुख्यमंत्री के संबंध में दिनांक 18 जुलाई, 2019 को भोपाल में सार्वजनिक तौर पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का उल्लेख किया गया.

2. गर्भगृह में प्रवेश

इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा उक्त आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले पूर्व विधायक से माफी की मांग करते हुए गर्भगृह में नारेबाजी करते हुए प्रवेश कर अखबार लहराते हुए उनकी गिरफतारी की मांग की गई.

आसंदी ने माननीय सदस्यों से अनुरोध किया कि वे गर्भगृह में प्रदर्शन न कर, अपने आसनों पर जाकर अपनी बात रखें. किन्तु सदन में अत्यधिक व्यवधान के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा पहले 11.08 बजे से सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 11.20 बजे पुन: समवेत हुई. तदुपरांत 11.23 बजे से सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 11.41 बजे पुन: समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति "एन.पी.") पीठासीन हुए.

श्री महेश परमार कांग्रेस के सदस्य ने आसंदी से अनुरोध किया कि मध्यप्रदेश के इतिहास में पहली बार किसी ने माननीय मुख्यमंत्री के खून से होली खेलने की टिप्पणी की है, यह निन्दनीय है.

श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष एवं डॉ. नरोत्तम मिश्र, सदस्य ने आसंदी से अनुरोध किया कि हम इस पर चर्चा के लिए तैयार हैं. हम पर अक्सर यह आरोप लगता है कि हम लोग प्रश्नकाल नहीं चलने देते है. परन्तु आज सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में आकर प्रश्नकाल को बाधित किया जा रहा है, जो उचित नहीं है. जिस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं.

श्री सज्जन सिंह वर्मा, लोक निर्माण मंत्री ने मत व्यक्त किया कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक द्वारा मुख्यमंत्री महोदय को जान से मारने की धमकी सरेआम राजधानी की सड़कों पर दी है और विपक्ष मौन है. उन्होंने पुलिस प्रशासन से इस मामले में तुरन्त संज्ञान लेने की मांग की.

अध्यक्ष महोदय ने विचारोपरांत यह व्यवस्था दी कि - "सार्वजनिक रूप से किसी भी वरिष्ठ नेता को चाहे वो किसी भी दल के हों ऐसी टिप्पणियां नहीं करना चाहिए. सदस्यों को अवगत कराया कि किसी भी दल के वरिष्ठ नेता के ऊपर सार्वजनिक रूप से ऐसी टिप्पणी आती है तो सभी सदस्यों को विचार करना होगा कि ऐसी घटनाएं न हों. ऐसी बातें न बोली जायें, जिससे किसी भी दल विशेष या उस व्यक्ति को बुरा लगे, क्योंकि उन्हें अपनी ऊचांईयां जन सेवा में कर्तव्य करते हुए प्राप्त हुई हैं, अन्यथा निश्चित रूप से सदस्यगण उद्वेलित होते हैं, वह सदस्य किसी भी दल के हों. प्रश्नकाल भी महत्वपूर्ण है, वह चलना चाहिए, परन्तु कल की घटना जो अखबारों में छपी है वह निश्चित रूप से दु:खद है. उस पर हम सबको एक मत होकर चिंतन करना चाहिये, इसमें दल विशेष की बात नहीं करना चाहिये".

इस पर श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष ने पुन: उल्लेख किया कि – "आसंदी की व्यवस्था सर्वमान्य है. मुझे भी अखबारों एवं सदन के माध्यम से जानकारी मिली है. हमारे प्रधानमंत्री जी ने संसदीय दल की बैठक में चेतावनी के साथ हमारे कार्यकर्ताओं, सांसदों, विधायकों के लिए कहा था कि हमें एक श्रेष्ठ एवं उत्तम संसदीय और विधायी जीवन का निर्वहन करना है. हमारी पार्टी भी इस प्रकार के विचारों एवं मतों से सहमत नहीं है और ये बात सदन के बाहर कही गई है. हमारा संगठन निर्णय कर उचित कार्यवाही करेगा. अत: अब सदन की कार्यवाही को चलने दिया जाय".

3. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 3 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2 एवं 3) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 161 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 164 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

4. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख

(1) मध्यप्रदेश में अनेक निर्माण कार्यों का भुगतान रोका जाना

डॉ. नरोत्तम मिश्र, सदस्य ने उल्लेख किया कि पिछले 17 दिन से मध्यप्रदेश में सभी वर्क्स डिपार्टमेंट में भुगतान रुका हुआ है. सारे काम अधूरे पड़े हुए हैं. अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि तत्सम्बन्धी ध्यानाकर्षण आने वाला है, उसमें यह बात रखी जा सकती है.

(2) श्रीलंका में सीता जी के मंदिर का निर्माण

गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष ने उल्लेख किया कि हमने यह खबर अखबारों में पढ़ी है कि श्रीलंका में सीताजी का मन्दिर बनाने के बारे में निर्णय हुआ था, एक करोड़ रुपये की राशि भी उस मद में दी गई थी. परन्तु श्री रामजी, सीताजी और अशोक वाटिका के सम्बन्ध में अनुचित प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि इस हेतु एक जांच दल वहां जाएगा.

श्री पी.सी.शर्मा, धार्मिक न्यास और धर्मस्व मंत्री ने स्पष्ट किया कि नेता प्रतिपक्ष द्वारा उठाया गया विषय आधारभूत नहीं है और न ही मंदिर हेतु कोई राशि देने की बात मीडिया में कही गई है.

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि नेता प्रतिपक्ष और मंत्री महोदय परस्पर चर्चा कर लें.

5. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि नियम 267-क अधीन लंबित सूचनाओं में से 20 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है. ये सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी. इन सभी सूचनाओं को उत्तर के लिए संबंधित विभाग को भेजा जायेगा. तद्नुसार –

(1) श्री भारत सिंह कुशवाह, सदस्य की ग्वालियर ग्रामीण क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र में पेयजल संकट होने,
(2) श्री संजय उइके, सदस्य की विधान सभा क्षेत्र बहैर के अंतर्गत पीपरढार से गिडोरी मार्ग को लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुल निर्माण कराये जाने,
(3) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा, सदस्य की सतना जिले के माधवगढ़ से लेकर सोहावल तक रोड का चौड़ीकरण कराये जाने,
(4) श्री पुरूषोत्तम लाल तंतुवाय, सदस्य की प्रदेश सरकार द्वारा हल्दी की खेती को बढ़ावा न दिये जाने,
(5) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य की मध्यप्रदेश शासन के सभी विभागों में हथकरधा से निर्मित वस्त्रों का उपयोग कराये जाने,
(6) श्री राकेश पाल सिंह, सदस्य की केवलारी क्षेत्र के ग्राम पंचायत चंदनवाड़ा खुर्द स्थित सागर नदी में पुल का निर्माण न किये जाने,

(7) श्री रामकिशोर (नानो) कावरे, सदस्य की बालाघाट जिले के परसवाड़ा स्थित महाविद्यालय में एम.एस.सी. कक्षाएं प्रारंभ न किये जाने,
(8) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, सदस्य की शिवपुरी में सीवर कार्य का कार्य पूर्ण न होने,
(9) श्री सुशील कुमार तिवारी, सदस्य की जबलपुर नगर निगम वार्ड 77 में संचालित की जा रही जयबड़ी माई डेयरी को शहरी सीमा से हटाने अन्यत्र स्थानांतरित किये जाने,
(10) श्री राज्यवर्धन सिंह, सदस्य की राजगढ़ जिले के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नरसिंहगढ़ के भवन की मरम्मत न कराये जाने,
(11) श्री प्रदीप पटेल, सदस्य की रीवा जिले के तराई अंचल तहसील जवा अंतर्गत बंद पांचों उद्वहन सिंचाई योजनाओं की पुन: चालू किये जाने,
(12) श्री राम खेलावन पटेल, सदस्य की रीवा जिले में संचालित सीमेंट फैक्ट्रियों एवं कंकरों की लाईम स्टोन की खुदाई से आसपास के ग्रामों को जलस्तर गिरने से पेयजल संकट होने,
(13) कुंवर जी कोठार, सदस्य की नगर सारंगपुर में स्थित 100 बिस्तरिय सिविल अस्पताल के निर्माण पश्चात पुराने भवन को न तोड़े जाने,
(14) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य की कालीदास शिक्षा समिति नीमच को आवंटित भूमि पर अनाधिकृत रूप से उद्योग स्थापित कर व्यापार किये जाने,
(15) श्री हर्ष विजय गहलोत, सदस्य की रतलाम जिले में सड़क निर्माण करने वाली कम्पनियों द्वारा निर्माण कार्य के दौरान सड़कों का क्षतिग्रस्त किये जाने,
(16) श्री संजय शर्मा, सदस्य की व्यापम के माध्यम से दुग्ध संघ में हुई भर्ती धांधली में महाप्रबंधक को विभाग द्वारा नियम विरूद्ध रूप से पदस्थ रखने,
(17) श्री गिर्राज डण्डोतिया, सदस्य की दिमनी क्षेत्र स्थित तालाबों का जीर्णोद्धार किये जाने,
(18) श्री रमेश मेन्दोला, सदस्य की इंदौर के नेहरू स्टेडियम में ताला लगाये जाने,
(19) डॉ. मोहन यादव, सदस्य की उज्जैन में खुली जेल बनवाये जाने तथा
(20) श्री विक्रम सिंह, सदस्य की रामपुर बघेलान के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराये जाने,

6. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री तरूण भनोत, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 49 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2014-15 पटल पर रखा.

(2) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-04-05-2018.2-पांच(08), दिनांक 28 जून, 2019 पटल पर रखी.

(3) श्री प्रदीप जायसवाल, खनिज साधन मंत्री ने जिला खनिज प्रतिष्ठान सीधी, कटनी एवं छतरपुर के वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 पटल पर रखे.

(4) श्री प्रियव्रत सिंह, ऊर्जा मंत्री ने मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का 16 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 पटल पर रखा.

7. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि - विधानसभा की नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यानाकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं, परंतु सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में चार सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है, लेकिन इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हों केवल वे ही प्रश्न पूछकर इन ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर यथा शीघ्र चर्चा समाप्त हो सके, इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी कराने में सहयोग प्रदान करें.

(1) सर्वश्री गोपाल भार्गव, विश्वास सारंग, सदस्यगण ने सागर जिले के ग्राम परासिया निवासी कृषक द्वारा आत्महत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री बाला बच्चन, गृह मंत्री ने वक्तव्य दिया.

(2) श्रीमती झूमा सोलंकी, सदस्य ने खरगोन जिले में पॉली हाऊस निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री सचिन सुभाष यादव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ने वक्तव्य दिया.

(3) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सदस्य ने कटनी जिले के सिंचाई जलाशयों एवं नहरों की जर्जर होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री हुकुम सिंह कराड़ा, जल संसाधन मंत्री ने वक्तव्य दिया.

(4) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य ने पन्ना-छतरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वन विभाग द्वारा बैरियर लगाकर अवैध वसूली किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री उमंग सिंघार, वन मंत्री ने वक्तव्य दिया.

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री रामकिशोर ‘नानो’ कावरे (जिला-बालाघाट)
(2) श्री आलोक चतुर्वेदी (जिला-छतरपुर)
(3) श्री आशीष गोविन्द शर्मा (जिला-देवास)
(4) श्री प्रणय प्रभात पांडे (जिला-कटनी)
(5) श्री रामपाल सिंह (जिला-रायसेन)
(6) श्री कुंवरजी कोठार (जिला-राजगढ़)
(7) श्री बहादुर सिंह चौहान (जिला-उज्जैन)
(8) श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला-धार)
(9) श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-छिन्दवाड़ा)
(10) श्री मनोज चावला (जिला-रतलाम)
(11) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(12) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया (जिला-शिवपुरी)
(13) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)
(14) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह (जिला-पन्ना)
(15) श्री राजेश कुमार प्रजापति (जिला-छतरपुर)
(16) श्री इन्दर सिंह परमार (जिला-शाजापुर)
(17) श्री देवेन्द्र वर्मा (जिला-खण्डवा)
(18) श्री दिलीप सिंह गुर्जर (जिला-उज्जैन)
(19) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(20) श्री राकेश गिरि (जिला-टीकमगढ़)
(21) श्री अनिल जैन (जिला-निवाड़ी)
(22) श्री प्रदीप पटेल (जिला-रीवा)
(23) श्री प्रेमशंकर वर्मा (जिला-होशंगाबाद)
(24) डॉ. मोहन यादव (जिला-उज्जैन)
(25) श्री गोवर्धन दांगी (जिला-राजगढ़)
(26) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया (जिला-मन्दसौर)
(27) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा (जिला-सतना)
(28) डॉ. सीतासरन शर्मा (जिला-होशंगाबाद)
(29) श्री दिनेश राय ‘मुनमुन’ (जिला-सिवनी)
(30) श्री संजय यादव (जिला-जबलपुर)
(31) श्री पुरूषोत्तम लाल तंतुवाय (जिला-दमोह)
(32) श्री शरद जुगलाल कोल (जिला-शहडोल)
(33) श्री महेश परमार (जिला-उज्जैन)
(34) श्री सुरेश धाकड़ (जिला-शिवपुरी)

(35) श्री राहुल सिंह लोधी (जिला-टीकमगढ़)
(36) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(37) श्री शैलेन्द्र जैन (जिला-सागर)
(38) श्री रामखेलावन पटेल (जिला-सतना)

9. अध्यक्षीय घोषणा

भोजनावकाश न होना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को अवगत कराया कि - आज भोजनावकाश नहीं होगा. भोजन की व्यवस्था सदन की लॉबी में की गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह सुविधानुसार भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें.

10. वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों पर मतदान ...... (क्रमशः)

(5) गृह विभाग की मांगों पर दिनांक 18 जुलाई, 2019 को हुई चर्चा के क्रम में श्री बाला बच्चन, गृह मंत्री ने उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(6) डॉ. गोविन्द सिंह, सामान्य प्रशासन मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 1	सामान्य प्रशासन के लिए छह सौ सड़सठ करोड़, पांच लाख, चौंतीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए निन्यानवे करोड़, अड़सठ लाख, अट्ठाइस हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 17	सहकारिता के लिए दो हजार पांच सौ ग्यारह करोड़, छियालीस लाख, तेईस हजार रुपये, एवं
अनुदान संख्या – 28	राज्य विधान मण्डल के लिए छियानवे करोड़, उनतालीस लाख, उनतीस हजार रुपये तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

उपाध्यक्ष महोदया (सुश्री हिना लिखीराम कावरे) पीठासीन हुईं.

(1) श्री गौरीशंकर बिसेन
(1) श्रीमती रामबाई गोविन्द सिंह
(2) श्री घनश्याम सिंह
(3) श्री बहादुर सिंह चौहान
(4) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव
(5) श्री इन्दर सिंह परमार
(6) श्री प्रवीण पाठक
(7) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा
(8) श्री संजीव सिंह "संजू"
(9) श्री अनिरूद्ध माधव मारू
(10) श्री ओ.पी.एस. भदौरिया
(11) श्री आशीष गोविन्द शर्मा

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति "एन.पी.") पीठासीन हुए.

(12) श्री संजय यादव
(13) श्री प्रताप ग्रेवाल
(14) श्री रामलाल मालवीय

डॉ. गोविन्द सिंह, सामान्य प्रशासन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(7) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 7 वाणिज्यिक कर के लिए तीन हजार चार सौ छप्पन करोड़, पचानवे लाख, इकतालीस हजार रुपये तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांग और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री अजय विश्नोई

उपाध्यक्ष महोदया (सुश्री हिना लिखीराम कावरे) पीठासीन हुईं.

(2) श्री आरिफ मसूद

11. अध्यक्षीय घोषणा
मांगों पर चर्चा पूर्ण होने के उपरांत अशासकीय कार्य लिया जाना

उपाध्यक्ष महोदया द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम-23 के अनुसार शुक्रवार की बैठक के अंतिम ढाई घण्टे गैर-सरकारी सदस्यों के काम के सम्पादन के लिये नियत हैं. आज सदन की कार्यवाही सायं 8.00 बजे तक चलने से अशासकीय कार्य सायं 5.30 बजे से लिया जाना है, परन्तु कार्यसूची के पद 5 के उप पद (4) में अंकित मांगों पर चर्चा पूर्ण होने के उपरांत अशासकीय कार्य लिया जायेगा.

12. वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों पर मतदान ...... (क्रमशः)

(3) श्री शैलेन्द्र जैन
(4) श्री प्रवीण पाठक
(5) श्री शरदेन्दु तिवारी
(6) श्री विनय सक्सेना

13. अध्यक्षीय घोषणा
स्वल्पाहार की व्यवस्था

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को अवगत कराया कि स्वल्पाहार की व्यवस्था सदन की लॉबी में की गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह सुविधानुसार स्वल्पाहार ग्रहण करने का कष्ट करें.

14. वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों पर मतदान ...... (क्रमशः)

(7) श्री बीरेन्द्र रघुवंशी
(8) श्री सुनील सराफ
(9) श्री तरबर सिंह

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति "एन.पी.") पीठासीन हुए.

श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(8) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल, खनिज साधन मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 25 खनिज साधन के लिए तीन सौ छप्पन करोड़, बीस लाख, इक्यावन हजार रुपये तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांग और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय
(2) श्री कमल पटेल
(3) श्री संजय यादव
(4) श्री राजेन्द्र शुक्ल

15. अध्यक्षीय घोषणा
सदन के समय में वृद्धि विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की कि खनिज साधन विभाग की मांग पारित होने तक के उपरांत अशासकीय संकल्प की आधे घंटे की चर्चा ली जाए. अत: यह कार्य सम्पन्न होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाए.

16. वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों पर मतदान ...... (क्रमश:)

(5) श्री केदारनाथ शुक्ल
(6) श्री के.पी.त्रिपाठी
(7) श्री बहादुर सिंह चौहान

उपाध्यक्ष महोदया (सुश्री हिना लिखीराम कावरे) पीठासीन हुईं.

(8) श्री संजय शर्मा
(9) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय
(10) श्री अनिरूद्ध (माधव) मारू
(11) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल
(12) श्री महेश परमार
(13) श्री मुरली मोरवाल
(14) श्री भारत सिंह कुशवाह
(15) श्री जजपाल सिंह "जज्जी"
(16) श्री रवि रमेशचंद्र जोशी
(17) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल
(18) श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष

श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल, खनिज साधन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

17. अशासकीय संकल्प

(1) सर्वश्री आलोक चतुर्वेदी, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि “यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि छतरपुर जिले के बरेठी में एन.टी.पी.सी. के सुपर थर्मल पावर संयंत्र को प्रारंभ करवाने में भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने में आ रही दिक्कतों को दूर किया जाए.”. तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

संकल्प प्रस्तुत हुआ.

श्री प्रियव्रत सिंह, ऊर्जा मंत्री ने चर्चा उत्तर दिया.

संकल्प स्वीकृत हुआ.

(2) श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि “सदन का मत है कि मध्यप्रदेश में एक स्वतंत्र फिजियोथेरेपिस्ट काउंसिल का गठन किया जाए, जिससे वेतन तथा अन्य विसंगतियां समाप्त हो सकें.”. तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

संकल्प प्रस्तुत हुआ.

निम्नलिखित सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया :-
(2) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया
(3) श्री गिरीश गौतम

डॉ.विजय लक्ष्मी साधौ, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने मंत्री ने चर्चा उत्तर दिया.

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ.

18. नियम 52 के अधीन आधे घण्टे की चर्चा

(1) श्री आरिफ मसूद, सदस्य द्वारा दिनांक 11 जुलाई, 2019 को खेल एवं युवा कल्याण मंत्री से पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्रमांक 145) के उत्तर से उद्भूत विषय पर चर्चा प्रारम्भ की गई. श्री जीतू पटवरी, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ने उत्तर दिया.

(2) श्री हर्ष विजय गेहलोत, सदस्य द्वारा दिनांक 17 जुलाई, 2019 को चिकित्सा शिक्षा मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्रमांक 961) के उत्तर से उद्भूत विषय पर चर्चा प्रारम्भ की गई. डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने उत्तर दिया.

अपराह्न 9.45 बजे विधान सभा की कार्यवाही शनिवार, दिनांक 20 जुलाई, 2019 (आषाढ़ 29, शक सम्वत् 1941) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 19 जुलाई, 2019